0542 – 2222689 (O)
0542 – 2223099 (R)

कुलसचिव

Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–२२१००२
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi-221002

दिनांकः– 16 फरवरी, 2016

कार्य परिषद् की आपात बैठक दिनांक 09.02.2016 का कार्यवृत्त

दिनांक **09–02–2016** को **अपराह्न 04:00** बजे **पंत प्रशासनिक भवन** स्थित **'डॉ0सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति कक्ष'** मा0कुलपति जी की अध्यक्षता में कार्य परिषद् की आपात बैठक सम्पन्न हुई जिसमें अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए–

1– डॉ0पृथ्वीश नाग, कुलपति	–अध्यक्ष
2– प्रो0कृपाशंकर जायसवाल, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबन्ध शास्त्र संकाय।	–सदस्य
3– प्रो0अरविन्द कुमार पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, शिक्षा सकाय।	–सदस्य
4– प्रो0रणधीर प्रताप सिंह, अंग्रेजी विभाग।	–सदस्य
5– प्रो0राम प्रकाश द्विवेदी, गांधी अध्ययन।	–सदस्य
6– डॉ0उदयन मिश्रा, प्राचार्य, बलदेव स्ना0महा0, बड़ागॉव, वाराणसी।	–सदस्य
7–डॉ0शिवनारायण गुप्त, प्राचार्य, पं0दीन दयाल उपा0राज0महा0, पलहीपट्टी, वाराणसी।	–सदस्य
8–डॉ0ब्रजेश कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग।	–सदस्य
9–डॉ0रामहित राम, एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग।	–सदस्य
10–डॉ0अरूण कुमार जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग	–सदस्य
11–श्री सूर्यभान प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग।	–सदस्य
12–डॉ0राजमुनि, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग।	–सदस्य
13–डॉ0बालेश्वर प्रसाद यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग।	–सदस्य
14–डॉ0ओम प्रकाश मलिक, असिस्टेंट प्रोफेसर, कमला आर्य कन्या स्ना0महा0, मिर्जापुर	–सदस्य
15–कुलसचिव, म0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी।	–सदस्य/सचिव
16–वित्त अधिकारी, म0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी।	–विशेष आमंत्रित

बैठक में अधोलिखित निर्णय लिये गयेः–

बिन्दु सं0(01):– वित्त समिति की बैठक दिनांक 27.01.2016 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :– परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर वित्त समिति की बैठक दिनांक 27.01.2016 के अधोलिखित कार्यवृत्त को अनुमोदित किया –

वित्त समिति की बैठक दिनांक 27.01.2016 का कार्यवृत्त

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 1

वित्त समिति की बैठक दिनांक 10–09–2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त वित्त समिति की बैठक दिनांक 10–09–2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 2

वित्त समिति की बैठक दिनांक 10–09–2015 में की गयी संस्तुतियों के सन्दर्भ में कृत कार्यवाही की सूचना।

संस्तुति –

वित्त समिति की बैठक दिनांक 10–09–2015 में की गयी संस्तुतियों के सन्दर्भ में कृत कार्यवाही से समिति अवगत हुयी।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 3

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 05–10–2015 के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 01 के आलोक में वित्त समिति की बैठक दिनांक 05–05–2015 के बिन्दु संख्या 13(अध्यक्ष की अनुमति) में की गयी संस्तुति पर पुनर्विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त तत्काल प्रभाव से एक लाख से अधिक उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन की स्थिति में ही वित्त समिति की बैठक दिनांक 05–05–2015 के बिन्दु संख्या 13(अध्यक्ष की अनुमति) में की गयी संस्तुति के अनुरूप पूर्ण दर से भुगतान किया जाने तथा एक लाख से कम उत्तर पुस्तिकाओं वाले मूल्यांकन केन्द्रों हेतु उक्त संस्तुति में उल्लिखित आनुपातिक दर से भुगतान किये जाने की सहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 4

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 05–10–2015 के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 16 के आलोक में वित्त समिति की बैठक दिनांक 10–09–2015 के बिन्दु संख्या 03, 08 व 12 में की गयी संस्तुति पर पुनर्विचार।

संस्तुति –

समिति ने कार्यपरिषद् के सन्दर्भ के आलोक में पुनर्विचार करते हुए वित्त समिति की बैठक दिनांक 10–09–2015 के बिन्दु संख्या 03 के सम्बन्ध में यथावत् संस्तुति प्रदान की। बिन्दु संख्या 08 व 12 के सम्बन्ध में समिति ने आवश्यकता का आकलन करते हुए तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के सृजन हेतु शासन से अनुरोध किये जाने की संस्तुति प्रदान की। साथ ही शासन से स्वीकृति प्राप्त होने तक आवश्यकता के अनुरूप आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कराये जाने की सहमति प्रदान की। इस आशय की सूचना शासन को भी प्रेषित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी। उक्त के प्रभावी होने तक वर्तमान व्यवस्था यथावत रहेगी।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 5

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के पुनरीक्षित आय–व्ययक वर्ष 2015–2016 तथा अनुमानित आय–व्ययक वर्ष 2016–2017 के अनुमोदन पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के पुनरीक्षित आय–व्ययक वर्ष 2015–2016 तथा अनुमानित आय–व्ययक वर्ष 2016–2017 का अनुमोदन किया।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 6

मूल्यांकन केन्द्रों के कार्मिकों को दिये जा रहे पारिश्रमिक की दर पर ही प्रवेश काउंसिलिंग हेतु गठित टीम के सदस्यों को भी पारिश्रमिक भुगतान किये जाने सम्बन्धी समन्वयक, प्रवेश सेल, 2015–16 के प्रस्ताव पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में ऑनलाइन काउंसिलिंग में लगे शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों को राज्य स्तरीय संयुक्त बी.एड़. प्रवेश की ऑनलाइन काउंसिलिंग की दर से अधिकतम 20 दिनों हेतु पारिश्रमिक भुगतान किये जाने पर सहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 7

छात्रावास आवंटन हेतु काउंसिलिंग में योगदान देने वाले प्राध्यापकों को भी प्रवेश काउंसिलिंग में लगे प्राध्यापकों की भांति ही आनुसांगिक राशि प्रदान किये जाने सम्बन्धी मुख्य गृहपति के प्रस्ताव पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त प्रस्ताव से असहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 8

विश्वविद्यालय के जनसूचना प्रकोष्ठ कार्यालय के कार्यालयी व्ययों हेतु ₹ 2,000/- स्थायी अग्रिम की स्वीकृति पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त जनसूचना प्रकोष्ठ कार्यालय के कार्यालयी व्ययों हेतु ₹ 2,000/- स्थायी अग्रिम भुगतान किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 9

परीक्षा गोपनीय विभाग में कार्य की अधिकता एवं कर्मचारियों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए 25 कर्मियों की कार्यावधि माह दिसम्बर, 2016 तक विस्तारित करने पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने कार्यसूची के बिन्दु संख्या 04 में की गयी संस्तुति के अनुरूप कार्यवाही किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 10

ओ0एम0आर0 पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अन्तिम सेमेस्टर परीक्षा की रूपरेखा हेतु गठित समिति की संस्तुति बिन्दु संख्या 9 ''प्रति प्रश्न @ 50 रू0 प्रति की दर से प्रश्नपत्र तैयार करने का पारिश्रमिक रू 5000/– होगा।'' के अनुमोदन सम्बन्धी कुलसचिव के प्रस्ताव पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की दर से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अन्तिम सेमेस्टर परीक्षा में प्रश्नपत्र तैयार करने का पारिश्रमिक भुगतान किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 11

उत्तर पुस्तिका निर्माण एवं संरक्षण कार्य में लगे कार्मिकों को भी मूल्यांकन/संकलन केन्द्र में लगे कार्मिकों के समान मानदेय भुगतान विषयक कुलसचिव के प्रस्ताव पर विचार।

संस्तुति –

*समिति ने विचारोपरान्त उत्तर पुस्तिका निर्माण एवं संरक्षण कार्य में लगे कार्मिकों को **₹ 15,000/-** प्रतिवर्ष की दर से पारिश्रमिक भुगतान किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।*

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 12

डॉ0 राजेश कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग के ''पूर्व में कार्यरत संस्था से प्राप्त वेतनमान 37400–67000, ए0जी0पी0 9000 को इस विश्वविद्यालय में मेरे कार्यभार ग्रहण की तिथि 17–03–2012 को संरक्षित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने एवं तदनुसार अग्रिम वेतन निर्गत करने के सम्बन्ध में'' विषयक पत्र दिनांक 01/10/2015 पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त प्रशासनिक स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 13

डॉ0 प्रभाशंकर मिश्र व अन्य के ''पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग तथा राष्ट्रगौरव पाठ्यक्रम में कार्यरत संविदा शिक्षकों के वेतनवृद्धि के सम्बन्ध में'' विषयक पत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग तथा राष्ट्रगौरव पाठ्यक्रम में कार्यरत संविदा शिक्षकों को भी स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत संविदा शिक्षकों की दर पर ही वेतन/मानदेय तथा सी0पी0एफ0 की सुविधा अनुमन्य किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 14

डॉ0 दीनानाथ सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के ''विश्वविद्यालय के विविध विभागों में कार्यरत अतिथि प्रवक्ताओं के पारिश्रमिक / मानदेय के सम्बन्ध में'' विषयक पत्र दिनांक 05.11.2015 पर विचार।

संस्तुति –

*समिति ने विचारोपरान्त अतिथि शिक्षकों को **₹ 500/-** प्रति व्याख्यान अधिकतम **₹ 12,000/-** प्रतिमाह अध्यापन मानदेय भुगतान किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।*

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 15

डॉ कलकप्पा गौडर, अध्यापक, कन्नड़ के अन्य संविदा अध्यापकों की भांति बढ़ी हुयी दर से वेतन भुगतान किये जाने सम्बन्धी पत्र दिनांक 14–12–2015 पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त डॉ0 कलकप्पा गौडर, अध्यापक, कन्नड़ को स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत संविदा शिक्षकों की दर पर ही वेतन/मानदेय तथा सी0पी0एफ0 की सुविधा अनुमन्य किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 16

डॉ0 आर0पी0त्रिपाठी, वरिष्ठ चिकित्सक के वेतन में वृद्धि सम्बन्धी पत्र दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त डॉ0 आर0पी0त्रिपाठी, वरिष्ठ चिकित्सक को लम्बी सेवा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए ₹ 30,000/- प्रतिमाह तथा अन्य चिकित्सक डॉ0 रत्ना राय को ₹ 27,000/- प्रतिमाह की दर से वेतन भुगतान किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 17

डॉ0 प्रभाशंकर मिश्र व अन्य के ''वित्तसमिति की बैठक दिनांक–10.09.2015 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 05.10.2015 द्वारा वृद्धि की गयी वेतन भुगतान के सम्बन्ध में'' विषयक पत्र दिनांक 18.12.2015 पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने कार्यसूची के बिन्दु संख्या 13 के अनुरूप कार्यवाही किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 18

वैयक्तिक सहायक (कुलपति) के श्री कर्मसागर पटेल, संविदाकर्मी को अतिरिक्त मानदेय भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त कुलपति जी के कैम्प कार्यालय पर कार्यालय अवधि के उपरान्त एवं अवकाश के दिनों में अतिरिक्त कार्य को दृष्टिगत रखते हुए श्री कर्मसागर पटेल, संविदाकर्मी को ₹ 2,500/- प्रतिमाह मानदेय भुगतान किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 19

श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता के Feeding Charges of Deductee Record की दर Rs. 10.00 Per Entry से बढ़ाकर Rs. 20.00 Per Entry किये जाने सम्बन्धी पत्र दिनांक 09.01.2016 पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता के Feeding Charges of Deductee Record की दर Rs. 10.00 Per Entry से बढ़ाकर Rs. 12.00 Per Entry किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 20

सी0सी0टी0वी0कैमरा, वायरलेस सिस्टम (Walky Talky), मोबाइल सेट व मोबाइल व्यय के भुगतान, पूर्ण सुसज्जित कन्ट्रोल रूम तथा मानदेय सम्बन्धी कुलानुशासक के सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त सी0सी0टी0वी0कैमरा (आवश्यकतानुसार), वायरलेस सिस्टम (Walky Talky), पूर्ण सुसज्जित कन्ट्रोल रूम हेतु सिद्धान्ततः सहमति तथा कुलानुशासक को ₹ 1,000/- प्रतिमाह व सहायक कुलानुशासकों ₹ 500/- प्रतिमाह की सीमान्तर्गत मोबाइल व्यय (रिचार्ज) की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु सहमति प्रदान की। मोबाइल सेट के प्रस्ताव को समिति ने अस्वीकृत किया।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 21

विश्वविद्यालय परिसर 10 माली आउटसोर्सिंग की स्वीकृति हेतु सम्पत्ति अधिकारी के प्रस्ताव पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने कार्यसूची के बिन्दु संख्या 04 में की गयी संस्तुति के अनुरूप कार्यवाही किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार।

बिन्दु संख्या – 1

''छठां वेतनमान के सम्बन्ध में'' विषयक श्री सत्येन्द्र राम त्रिपाठी व अन्य के पत्र पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त असहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या – 2

''वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेण्ट) का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में'' विषयक डॉ0 सुमन कुमार ओझा व अन्य अंशकालिक अध्यापकों के पत्र दिनांक 16–01–2016 पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त असहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या – 3

विवेकानुदान कोष की वर्तमान धनराशि ₹ 2,00,000/- से बढ़ाकर ₹ 10,00,000/- किये जाने से सम्बन्धित डॉ0 सुरेन्द्र नाथ सिंह, डॉ0 आनन्द कुमार सिंह एवं डॉ0 मालती गोस्वामी, पूर्व अध्यक्ष, कर्मचारी संघ के पत्र दिनांक 13–01–2016 पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त आय–व्ययक प्रावधान के अनुरूप कार्यवाही किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या – 4

''विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को मेडीक्लेम पॉलिसी की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में'' विषयक डॉ0 सुरेन्द्र नाथ सिंह, डॉ0 आनन्द कुमार सिंह एवं डॉ0 मालती गोस्वामी, पूर्व अध्यक्ष, कर्मचारी संघ के पत्र दिनांक 13–01–2016 पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त विस्तृत विवरण सहित प्रस्ताव वित्त समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या – 5

वाद प्रकोष्ठ हेतु स्थायी अग्रिम ₹ 2,000/- से बढ़ाकर ₹ 10,000/- किये जाने सम्बन्धी प्रभारी, वाद प्रकोष्ठ के पत्र दिनांक 20–01–2016 पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त असहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या – 6

''सी0पी0एफ0 कटौती के सम्बन्ध में'' विषयक डॉ0 सुमन कुमार ओझा व अन्य अंशकालिक अध्यापकों के पत्र दिनांक 07–01–2016 पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भांति सी0पी0एफ0 की सुविधा अनुमन्य किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या – 7

विश्वविद्यालय परिसर में समस्त सीवर पर ढक्कन लगाने हेतु दर निर्धारित किये जाने सम्बन्धी पत्रावली पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त अन्य शासकीय संस्थाओं/निगमों में निर्धारित दर की सीमान्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या – 8

मुख्य गृहपति कार्यालय एवं छात्रावास में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का वेतन भी स्ववित्तपोषित कर्मियों के भांति करने सम्बन्धी मुख्य गृहपति के प्रस्ताव पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त सम्बन्धित शासनादेश के आलोक में प्रस्ताव वित्त समिति की आगामी बैठक में रखे जाने हेतु सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या – 9

विश्वविद्यालय की विविध खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी खिलाड़ियों को दिये जाने वाले किट/ट्रैक सूट/टीम मैनेजर/टीम प्रभारी/कोच/निर्णायक/चयनकर्ता एवं पर्यवेक्षकों को दिये जाने वाले मानदेय तथा खिलाड़ियों को दिये जाने वाले पुरस्कारों की दरों में वृद्धि किये जाने सम्बन्धी सचिव, विश्वविद्यालय खेलकूद परिषद् के प्रस्ताव दिनांक 12–01–2016 पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त अन्य विश्वविद्यालयों से दर प्राप्त करते हुए तुलनात्मक विवरण के साथ प्रस्ताव वित्त समिति की आगामी बैठक में रखे जाने हेतु सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या – 10

शारीरिक शिक्षा विभाग में कार्यरत श्री अमित कुमार गौतम को अतिथि अध्यापक एवं खेल प्रशिक्षक दोनों पदो के मानदेय भुगतान सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त खेल प्रशिक्षक के रूप में तृतीय श्रेणी (संविदा) हेतु निर्धारित दर पर भुगतान किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या – 11

आई0एम0एफ0 (IMF) सेल में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि किये जाने सम्बन्धी श्री कुलदीप सिंह एवं अन्य के पत्र दिनांक 25–01–2016 पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त यथावत् दर से भुगतान किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या – 12

''एक साथ समायोजन निरस्त अन्य कर्मचारियों की भांति 17–11–2014 से लागू दर से प्रतिमाह स्थिर वेतन भुगतान हेतु निवेदन'' विषयक श्रीमती रचना कुमारी व अन्य के पत्र पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त असहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या – 13

परीक्षा नोडल केन्द्र व्यय तथा प्रेक्षक सम्बन्धी पारिश्रमिक/मानदेय के निर्धारण सम्बन्धी कुलसचिव के प्रस्ताव पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त परीक्षा में नोडल केन्द्र बनाये जाने की स्थिति में अधोलिखित दरों पर नोडल केन्द्र व्यय भुगतान किये जाने हेतु सहमति प्रदान की –

1.	*नोडल अधिकारी – 01*	*पारिश्रमिक ₹ 800/- प्रतिदिन अधिकतम ₹ 30,000/-*
2.	*उप नोडल अधिकारी – 01*	*पारिश्रमिक ₹ 600/- प्रतिदिन अधिकतम ₹ 20,000/-*
3.	*तृतीय श्रेणी – 02*	*पारिश्रमिक ₹ 350/- प्रतिदिन अधिकतम ₹ 12,000/-*
4.	*चतुर्थ श्रेणी – 04*	*पारिश्रमिक ₹ 250/- प्रतिदिन अधिकतम ₹ 10,000/-*
5.	*गोपनीय सामग्री लोडिंग/अनलोडिंग व्यय*	*₹ 50/- प्रतिपरीक्षा केन्द्र प्रति दिन*
6.	*विविध आनुषंगिक व्यय*	*₹ 4000/- अधिकतम प्रति नोडल केन्द्र*
7.	*प्रेक्षक*	*पारिश्रमिक ₹ 500/- प्रतिदिन एवं स्थानीय मार्गव्यय ₹ 200/- प्रतिदिन*

– – – – –

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचारः–

बिन्दु सं0(01):– वर्ष 2016 के अवकाश सूची के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :– परिषद् ने सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2016 के अवकाश सूची को अनुमोदित किया।

बिन्दु सं0(02):– वेतन समिति, 2008 के 11वें प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के किर्यान्वयन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–665(1)/दस –54(एम)/2008टी0सी0 दिनांक 26 सितम्बर, 2013, संख्या–1121/सत्तर–4–2013 दिनांक 31 अक्टूबर, 2013, संख्या– 1465–82 एन0टी0/2013 दिनांक 10.01.2014 तथा शासनादेश संख्या–19/2015/581/सत्तर –2–2015–16(645)/2011 दिनांक 03 नवम्बर, 2015 को अंगीकृत किये जाने पर विचार एवं इस शासनादेश के अनुपालन में कार्यालय के पत्र संख्या कु0स0/1011/2ए साप्र II (वेतन समिति)/2015 दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही की सूचना।

निर्णय :– परिषद् ने विचारोपरान्त सन्दर्भगत शासनादेशों को अंगीकृत करते हुए शासनादेश के आलोक में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या कु0स0–1011/2ए.सा0प्र0–II(वेतन समिति)/2015 दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 द्वारा की गई कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु सं0(03):– विजन कमेटी के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :– परिषद् ने प्रो0अरविन्द कुमार पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय को विजन कमेटी का अध्यक्ष बनाये जाने का निर्णय लिया।

बिन्दु सं0(04):– विश्वविद्यालय की विकास सम्बन्धी योजनाओं एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :– परिषद् ने विचार–विमर्श के अनन्तर निर्णय लिया कि माह के प्रत्येक सोमवार को वित्त विभाग एवं अभियन्त्रण विभाग की समीक्षा बैठक वित्त अधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न होगी। बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर वित्त अधिकारी द्वारा अगले दिन(मंगलवार) को कुलपति जी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाय। सन्दर्भित दिनों में अवकाश की स्थिति में अगले कार्यदिवस में कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

बिन्दु सं0(05):– विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा की अवधि को कम करने का प्रकरण कतिपय मा0सदस्यों द्वारा सदन के पटल पर रखा गया।

निर्णय :– परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर विषय पुंज बनाने हेतु डॉ0उदयन मिश्र, प्राचार्य, श्री बलदेव पी0जी0 कालेज, वाराणसी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया।

बिन्दु सं0(06):– मा0सदस्य द्वारा महाविद्यालय में नकल का प्रकरण सदन के पटल पर रखा गया।

निर्णय :– सदन को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के पत्र संख्या कु0स0/311/2डी वाद् प्र0/2016 दिनांक 30 जनवरी, 2016 द्वारा प्रभावी पैरवी हेतु वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रविकान्त को नामित किया गया है। परिषद् ने उक्त से अवगत होते हुए विश्वविद्यालय की कार्यवाही को अनुमोदित किया।

बिन्दु सं0(07):– कतिपय मा0सदस्य द्वारा कॉलेज से ली जा रही परीक्षा शुल्क का प्रकरण उठाया गया।

निर्णय :– सदन को अवगत कराया गया कि महाविद्यालयों के परीक्षा शुल्क RTGS के माध्यम से इलाहाबाद बैंक में खाता संख्या 50124599454 में जमा कराने की व्यवस्था की गई है। परिषद् ने उक्त से अवगत होते हुए निर्णय लिया कि वित्त विभाग को निर्देशित किया जाय कि RTGS के माध्यम से भुगतान अन्य स्तरों पर भी सुनिश्चित कराया जाय।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देकर बैठक समाप्त हुई।

ह0 /

कुलपति **कुलसचिव**

पत्रांक :–कु0स0–2सी.समिअ/2864/(कार्य परि0बैठक–03–04)/16 **तद्दिनांक**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मा0कुलपति जी।
2. वित्त अधिकारी।
3. कार्य परिषद् के समस्त सदस्यगण।
4. परीक्षा नियन्त्रक।
5. प्रभारी, संगणक केन्द्र को इस आशय से कि विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपरोक्त कार्यवृत्त को सम्बन्धित व्यक्ति एवं जन साधारण के सूचनार्थ अपलोड कर दें।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

ह0

कुलसचिव